प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी
बलरामपुर ।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,
बलरामपुर।

दिनांक 20 सितम्बर, 2017

पत्र संख्या 2136/निर्वाचन/2017

विषयः लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4 (1) (बी) के अन्तर्गत 17 श्रेणियों की सूचनायें जिला निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तर प्रदेश,लखनऊ के पत्रसंख्या– 3593/सी0ई0ओ0–1–105/1–2005 दिनांक 14 अगस्त,2017 के साथ संलग्न निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश शासन के पत्रसंख्या– 478/61–2017 दिनांक 08.09.2017 के माध्यम से प्राप्त मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रसंख्या–580/43–2–2017 दिनॉक– 21.08.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (छायाप्रति संलग्न है) जिसके द्वारा लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4 (1) (बी) के अन्तर्गत 17 श्रेणियों की सूचनायें जिला निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिनॉक– 20.09.2017 तक उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उल्लिखित पत्र के अनुपालन में लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4 (1) (बी) के अन्तर्गत 17 श्रेणियों की सूचनायें संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(शिव पूजन)
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
बलरामपुर।

लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4 (1) (बी) के अन्तर्गत 17 श्रेणियों की सूचनायें जिला निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के संबंध में।
जनपद–बलरामपुर।

क्र0सं0	बिन्दु	उत्तर
(i)	अपने संगठन की विशिष्टयां, कृत्य और कर्तव्य	मतदाता सूची /मतदाता फोटो पहचान–पत्र की तैयारी एवं निर्वाचनों को सुचारू रूप से सम्पन्न कराये जाने का कार्य।
(ii)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	उच्च अधिकारियों द्वारा सौपे गये कार्यो को ससमय कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य को सम्पादित करना।
(iii)	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है	कार्यो का पर्यवेक्षण सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है।
(iv)	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	कार्यालय में प्रातः 10–00 बजे से सायं 5–00बजे तक उपस्थित रहकर कार्यो का सम्पादन करना तथा आमजन द्वारा चाही गई जानकारी/सूचना को ससमय उपलब्ध कराया जाना।
(v)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों को ध्यान में रखकर कार्यो का सम्पादन किया जाना।
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण	निर्वाचक नामावली, मतदेय स्थल एवं मतदाता फोटो पहचान–पत्र।
(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है	निर्वाचक नामावली, मतदेय स्थल एवं मतदाता फोटो पहचान–पत्र आदि के संबंध में राजनैतिकदल/आमजन से परामर्श लिया जाता है।
(viii)	ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों, के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत तक जनता की पहुंच होगी, विवरण	निर्वाचन विभाग से संबंधित नही है।
(ix)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	पृथक रूप से निर्देशिका नही निर्गत की गई है।